रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 328] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 1975/भाद्र 6, 1897
No. 328] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 1975/BHADRA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August 1975

S.O. 452(E).—The following notification made by the President on the 26th August, 1975 is published for general information :—

In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim the enactments specified in the Schedule annexed hereto subject to the modifications, if any, specified in that Schedule and the following further modifications, namely :—

(1) Any reference in the said enactments to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or to the corresponding functionary in existence, in that State:

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

(2) Notwithstanding anything contained in the relevant provision, if any, of each such enactment for the commencement thereof, the provisions of each such enactment shall come into force in the State of Sikkim on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of any enactment and for different areas in the State of Sikkim and any reference in any such provision to the commencement of the Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in the area where it has been brought into force.

THE SCHEDULE

Year	No.	Short title	Modifications
1	2	3	4
1948	15	The Industrial Finance Corporation Act, 1948	
1951	61	The All-India Services Act, 1951	In section 3, in sub-section (1), for "the State of Jammu and Kashmir", substitute "the States of Jammu and Kashmir and Sikkim".
1951	63	The State Financial Corporations Act, 1951	
1955	10	The Essential Commodities Act, 1955	
1962	26	The National Cooperative Development Corporation Act, 1962	
1963	10	The Agricultural Refinance Corporation Act, 1963	
1964	18	The Industrial Development Bank of India Act, 1964	

F. A. AHMED,
PRESIDENT.

[No. S-12014/3/75-SR, Vol. II]

P. K. KATHPALIA,
Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1975

का० आ० 452 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा 26 अगस्त, 1975 को की गई निम्नलिखित अधिसूचना आम जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371 च के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का विस्तार, उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों, यदि कोई हों, और निम्नलिखित और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, सिक्कम राज्य पर करते हैं, अर्थात्:—

(1) उक्त अधिनियमितियों में, सिक्कम राज्य में ऐसी विधि, जो प्रवृत्त नहीं है या ऐसे कृत्यकारी जो विद्यमान नहीं हैं, के प्रति निदेश का अर्थान्वयन उस राज्य की तत्समान प्रवृत्त विधि या तत्समान विद्यमान कृत्यकारी के प्रति निदेश के रूप में किया जायेगा :

परन्तु यदि ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा तत्समान कृत्यकारी कौन है या यदि ऐसा तत्समान कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चित करेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(2) प्रत्येक ऐसी अधिनियमिति के सुसंगत उपबन्ध में, यदि कोई हो, उसके प्रारम्भ की बाबत अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी प्रत्येक अधिनियमिति के उपबन्ध सिक्किम राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु किसी अधिनियमिति के विभिन्न उपबन्धों और सिक्किम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे उपबन्ध में, अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निदेश का अर्थान्वयन, उस क्षेत्र में, जहां वह प्रवृत्त किया गया है उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिदेश के रूप में किया जाएगा ।

अनुसूची

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	उपान्तरण
1	2	3	4
1948	15	औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948	
1951	61	अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951	धारा 3 में, उपधारा (1) में, "जम्मू और कश्मीर राज्य" के स्थान पर "जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम राज्य" रखें ।
1951	63	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951	
1955	10	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	
1962	26	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962	
1963	10	कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम 1963	
1964	18	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964	

फखरुद्दीन अली अहमद

राष्ट्रपति ।

[संख्या एस 12014/3/75-एस०आर०]

प्रेम कुमार कठपालिया, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975